न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर,
उपस्थित–अजय कुमार श्रीवास्तव–।।। (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPSD010019892026

Bail Application/819/2026

नूरजहाँ पत्नी मो० कौसर, साकिन–दुधवनिया, मुडिला डीह, थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर।

––––प्रार्थिनी/अभियुक्ता,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य **––––विपक्षी/आपत्तिकर्ता।**

मुकदमा अपराध संख्या–53/2026
धारा–318(4),352,351(3) बी०एन०एस०
थाना–ढेबरुआ, जनपद–सिद्धार्थनगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

1– प्रार्थिनी/अभियुक्ता नूरजहाँ द्वारा मु०अ०सं०–53/2026, अन्तर्गत धारा–318(4),352,351(3) बी०एन०एस०, थाना–ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर में प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शनि कुमार सोनी पुत्र भारत भूषण सोनी स्थान बढ़नी वार्ड नं 3 लोहियानगर थाना ढेबरुआ जिला सिद्धार्थनगर का निवासी है। वादी से मोहम्मद कौशर पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी दुधवनिया मुड़िला डीह थाना ढेबरुआ जिला सिद्धार्थनगर दिल्ली में सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर 16 लाख रूपए ले लिया, जिसमें 7 लाख 76 हजार ऑनलाइन ट्रांसक्शन भिन्न–भिन्न तिथियों में लिया है, जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। वादी से विपक्षी मोहम्मद कौशर ने 824000 रूपए भिन्न–भिन्न तिथियों में नगद लिया जिसका एक एग्रीमेंट बना कर दिया है, जिसमे यह लिखा की यदि मोहम्मद कौशर नौकरी नहीं लगवा पाए तो अपनी जामें और सोने के जेवरात बेचकर 16 लाख रूपए वापस करेगा। उक्त लेन देन की जानकारी उसके पूरे परिवार को है। कौशर की पत्नी तथा उसका पुत्र भी इस साजिश में शामिल रहे है, वादी को जब नौकरी लगने में काफी देर होने लगी तो वादी को शक हुआ की वादी के साथ धोखा हुआ है। वादी, मोहम्मद कौशर के ऊपर दबाव बनाने लगा तो कौशर ने थमकी भरे शब्दों में गाली दिया और जान से मारने की धमकी दी। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर में मु०अ०सं०–53/2026, अन्तर्गत धारा–318(4),352,351(3) बी०एन०एस० के अन्तर्गत मोहम्मद कौसर, कौसर की पत्नी नाम अज्ञात व कौसर का लड़का नाम अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया।

3– प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता ने कोई भी अपराध कारित नही किया है महज रंजिशन वादी मुकदमा ने फर्जी तरीके से तथ्य एवं वास्तविकता को छिपाकर एफ०आई०आर० दर्ज करवा दिया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर्दानशीन औरत है तथा अनपढ गवार महिला है एवं घटना के विषय मे कोई भी जानकारी नही है। कथानक अभियोजन प्रथम सूचना रिर्पोट मे न तो घटना का समय एवं न ही घटना का दिनांक ही दिया गया है एवं न ही घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ही नामित है महज प्रार्थिनी/अभियुक्ता को परेशान व हैरान करने के उद्देश्य से एफ०आई०आर० मे नामित कर दिया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता स्वंय अनपढ गवार है किसी भी सरकारी नौकरी लगवाने मे कोई भी भूमिका नही निभा सकती है एवं न ही किसी प्रकार के लेन–देन एवं गाली गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी देने की ही जानकारी है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के खिलाफ आयत जुर्म दफात मजिस्टेट द्वारा परीक्षणीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आधारों पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थिनी के पति मो० कौसर के द्वारा वादी मुकदमा से दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 16 लाख रूपए ले लिया गया, जिसमें 7 लाख 76 हजार ऑनलाइन ट्रांसक्शन से एवं 824000 रूपए भिन्न–भिन्न तिथियों में नगद लिया गया है, जिसका एक एग्रीमेंट बना कर दिया है, जिसमे यह लिखा की यदि मोहम्मद कौशर नौकरी नहीं लगवा पाए तो अपनी जामें और सोने के जेवरात बेचकर 16 लाख रूपए वापस करेगा। उक्त लेन देन की जानकारी उसके पूरे परिवार को है। कौशर की पत्नी तथा उसका पुत्र भी इस साजिश में शामिल रहे है। अतः प्रार्थिनी/अभियुक्ता अग्रिम जमानत प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है और उसका जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाय।

5– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता पढ़ी लिखी नहीं है। उसके द्वारा कोई पैसा नहीं लिया गया है और न ही उसके पति द्वारा वादी मुकदमा से कोई पैसा लिये जाने की उसे जानकारी है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के पति व दो बच्चे रोजी–रोटी के सिलसिले में बाहर

Digitally signed by AJAY KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.01 17:07:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रहते हैं। प्रार्थिनी/अभियुक्ता अपने आठ वर्षीय पुत्र के साथ घर पर रहती है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

6– न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने की आख्या व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

7– अभियोजन के अनुसार प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर यह आरोप है कि अभियुक्ता के पति सह–अभियुक्त कौसर द्वारा वादी मुकदमा को दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे कुल 16 लाख रूपए ले लिया गया है, जिसमें 7 लाख 76 हजार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से एवं 824000 रूपए नगद भिन्न–भिन्न तिथियों में लिया गया है, जिसका एक एग्रीमेंट बना है, जिसमें यह लिखा है कि यदि मोहम्मद कौशर नौकरी नहीं लगवा पाए तो अपनी जामें और सोने के जेवरात बेचकर 16 लाख रूपए वापस करेगा। उक्त लेन देन की जानकारी उसके पूरे परिवार को है। कौशर की पत्नी/अभियुक्ता तथा उसका पुत्र भी इस साजिश में शामिल रहे हैं। वादी को शक होने पर तथा सह–अभियुक्त मोहम्मद कौशर पर दबाव बनाने पर कौशर द्वारा धमकी भरे शब्दों में गाली दिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गयी।

8– बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता पढ़ी लिखी नहीं है। उसके द्वारा कोई पैसा नहीं लिया गया है और न ही उसके पति द्वारा वादी मुकदमा से कोई पैसा लिये जाने की उसे जानकारी है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के पति व दो बच्चे रोजी–रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। प्रार्थिनी/अभियुक्ता अपने आठ वर्षीय पुत्र के साथ घर पर रहती है।

9– थाने की आख्या प्राप्त है, जिसके अनुसार अभियुक्ता के पति द्वारा विभिन्न तिथियों में आनलाइन ट्रान्जेक्शन के माध्यम से व कुछ नगद लिया गया है, जिसका विवरण केस डायरी में अंकित है। अभियुक्ता व उसका पति कौसर, उसका लड़का आरिफ तीनों मिलकर पैसा लिये हैं। जब पीड़ित मांगने गया तो उसके साथ गाली–गलौज किये और जान से मारने की धमकी दिये।

10– केस डायरी के साथ संलग्न आनलाइन ट्रान्जेक्शन की छायाप्रति में पैसों को प्रार्थिनी/अभियुक्ता के पति मोहम्मद कौसर के खाते में ट्रान्सफर किया जाना दर्शित है। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना अभी प्रचलित है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता को धारा 35(3) बी०एन०एस०एस० की नोटिस प्रदान की गयी है, परन्तु उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में सभी धाराएं सात वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अभियोजन के द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता का प्रस्तुत मुकदमें के अलावा कोई अन्य आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है।

11– अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना एवं **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सत्येन्द्र कुमार अन्टिल प्रति सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन व अन्य** के मामले में दी गयी विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थिनी/अभियुक्ता उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता, **नूरजहाँ** पत्नी मो० कौसर, साकिन–दुधवनिया, मुडिला डीह, थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–819/2026, मु०अ०सं०–53/2026, अन्तर्गत धारा–318(4), 352, 351(3) बी०एन०एस०, थाना–ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा मु०–75,000 (पचहत्तर हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, जमानतदारों व उनके सम्पत्ति का सत्यापन कराये जाने के बाद निम्नांकित शर्तो के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए:–

(I) प्रार्थिनी/अभियुक्ता सद्व्यवहार बनाये रखेगी।

(II) प्रार्थिनी/अभियुक्ता अभियोजन साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगी न ही अभियोजन साक्षियों को धमकी देगी।

(III) प्रार्थिनी/अभियुक्ता विचारण के दौरान विचारण न्यायालय में प्रत्येक नियत पेशी पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगी।

(IV) प्रार्थिनी/अभियुक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के उपस्थित होने पर जिरह हेतु अनावश्यक स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगी।

(V) प्रार्थिनी/अभियुक्ता बिना न्यायालय की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जायेगी।

(VI) उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन अग्रिम जमानत निरस्त का आधार माना जाएगा।

दिनांक–01.07.2026

(अजय कुमार श्रीवास्तव–III)
सत्र न्यायाधीश,
सिद्धार्थनगर।
J.O. I.D. No. UP2021